

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-02/आर०-171/2023-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० ज्योति प्रिया, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बलिया, बेगूसराय द्वारा द्वितीय प्रसव हेतु उपभोगित अवधि दिनांक-01.02.2025 से 30.07.2025 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-02/आर०-171/2023-

700(2) पटना, दिनांक 8/4/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, बलिया, बेगूसराय/डा० ज्योति प्रिया, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बलिया, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wahank Gupta
सरकार के उप सचिव।
A